

1316

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौडगाढ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - ख्यावरडी)

ग्रामीण सेवा शिविर-2025


धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 1036

दायर दिनांक 9/10/25

निर्णय दिनांक

09/10/25



रिपोर्ट

क्र.म.	नाम-ग्राम	खान	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।		कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	दावा	43	वर्तमान प्रविष्टी	सुद्ध प्रविष्टी	तहसालीदर कपासन की अनुशंशा स्वीकार की जाकर राज. भू.रा.अधि. 1956 की धारा 136 के अधीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>ख्यावरडी</u> प.ह. <u>ख्यावरडी</u> में वर्तमान प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ वीकनेर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कम्-स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			हस्ताक्षर प्रविष्टी	हस्ताक्षर पिरदावर	
प्रतिलिपि पालनार्थ:-			पदेन सहायक कलक्टर कपासन		

1. पटवारी पटवार

पटवार मण्डल रणारथी

को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन चितौडगाढ

तहसीलदार कपासन